Shodhbodhalaya: An International Peer reviewed
Multidisciplinary Journal
Volume 4 | Issue 3 | ISSN: 2584-1807 | (https://shodhbodh.com/)

कुटीर उद्योगों के माध्यम से महिला उद्यमियों का आर्थिक विकास

(सतना जिले के विशेष संदर्भ में)

श्रीमती प्रतिमा वर्मा

शोधार्थी (अर्थशास्त्र), शासकीय शहीद केदारनाथ महाविद्यालय, मऊगंज (म.प्र.)

डॉ. सोमदत्त पाण्डेय

शोध निर्देशक एवं प्राचार्य, शासकीय शहीद केदारनाथ महाविद्यालय, मऊगंज (म.प्र.)

सारांश

ग्रामीण भारत में कुटीर उद्योग महिलाओं के लिए स्वरोजगार का सबसे सुलभ माध्यम हैं, क्योंकि ये कम पूँजी, सरल तकनीक एवं घरेलू कौशल पर आधारित होते हैं। प्रस्तुत शोध पत्र में मैहर जिले के पृथक होने के पश्चात् वर्तमान सतना जिले के पाँच विकासखण्डों – सोहावल, नागौद, उचेहरा, मझगवाँ एवं रामपुर बघेलान – से बहुस्तरीय दैव निदर्शन द्वारा चयनित 300 महिला कुटीर उद्यमियों से साक्षात्कार अनुसूची के माध्यम से एकत्र प्राथमिक समंकों का विश्लेषण किया गया है। अध्ययन में पाया गया कि 60 प्रतिशत उद्यम ₹25,000 से कम पूँजी से प्रारम्भ हुए, प्रति उद्यम औसत मासिक लागत ₹7,670 है तथा 62 प्रतिशत महिलाओं ने ऋण लिया है, जिनमें स्व-सहायता समूह एवं मुद्रा योजना प्रमुख स्रोत हैं। उद्यम प्रारम्भ करने से पूर्व की औसत मासिक आय ₹1,785 की तुलना में वर्तमान आय ₹7,580 है तथा युग्मित टी-परीक्षण से यह वृद्धि सार्थक सिद्ध हुई। काई-वर्ग परीक्षण से स्पष्ट हुआ कि कम जोखिम वहन क्षमता, आर्थिक कमजोरी, पारिवारिक दायित्व एवं आत्मविश्वास की कमी महिला उद्यमिता की प्रमुख सीमाएँ हैं, जो शिक्षा, आर्थिक स्थिति एवं पारिवारिक संरचना से सार्थक रूप से जुड़ी हैं। शोध पत्र सरल ऋण, संगठित विपणन,

विकासखण्ड स्तर पर प्रशिक्षण तथा पारिवारिक सहयोग को महिला उद्यमियों के आर्थिक विकास की कुंजी मानता है।

मुख्य शब्द – कुटीर उद्योग, महिला उद्यमी, आर्थिक विकास, स्व-सहायता समूह, सूक्ष्म ऋण, सतना जिला।

प्रस्तावना

किसी अर्थव्यवस्था का सन्तुलित विकास तभी सम्भव है जब उसकी आधी जनसंख्या, अर्थात् महिलाएँ, उत्पादक गतिविधियों में बराबर की भागीदार हों। भारतीय ग्रामीण परिवारों में महिलाएँ सदैव से खेती, पशुपालन एवं घरेलू उत्पादन में संलग्न रही हैं, किन्तु उनका अधिकांश श्रम अवैतनिक होने के कारण आर्थिक गणना से बाहर रहा। स्व-सहायता समूह आन्दोलन, सूक्ष्म वित्त तथा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम एवं मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना जैसी पहलों ने इस स्थिति को बदला है और अनेक महिलाएँ अब अपने परम्परागत कौशल को उद्यम में बदलकर आय अर्जित कर रही हैं।

कुटीर उद्योग इस परिवर्तन का स्वाभाविक माध्यम हैं। पापड़-बड़ी-अचार, मसाला पिसाई, सिलाई-कढ़ाई, अगरबत्ती, बाँस शिल्प एवं दोना-पत्तल जैसे उद्योग घर पर रहकर, स्थानीय कच्चे माल एवं पारिवारिक श्रम से चलाए जा सकते हैं। मध्यप्रदेश के रीवा संभाग में स्थित सतना जिला कृषि प्रधान होने के साथ सीमेंट उद्योग के लिए जाना जाता है, किन्तु यहाँ की ग्रामीण महिलाओं के लिए आय के अवसर सीमित हैं और महिला साक्षरता भी अपेक्षाकृत कम है। सितम्बर 2023 में मैहर, अमरपाटन एवं रामनगर तहसीलों को पृथक कर मैहर जिला बनाए जाने के पश्चात् वर्तमान सतना जिले के सन्दर्भ में महिला उद्यमिता का कोई व्यवस्थित प्राथमिक अध्ययन उपलब्ध नहीं है। प्रस्तुत शोध पत्र इसी कमी को दूर करने का प्रयास है।

शोध पत्र का उद्देश्य

प्रस्तुत शोध पत्र के उद्देश्य हैं – (1) सतना जिले की महिला कुटीर उद्यमियों की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि एवं उनके द्वारा संचालित उद्योगों के स्वरूप का अध्ययन करना; (2) उद्यमों की पूँजी, लागत, ऋण एवं आय की संरचना का विश्लेषण करना; (3) कुटीर उद्योगों से महिलाओं की आय में हुए परिवर्तन की सार्थकता का परीक्षण करना; (4) जोखिम वहन क्षमता, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक दायित्व एवं आत्मविश्वास के महिला उद्यमिता पर प्रभाव को परखना; तथा (5) महिला उद्यमियों के आर्थिक विकास हेतु व्यावहारिक सुझाव प्रस्तुत करना।

महत्व

यह शोध पत्र नवगठित सीमाओं वाले सतना जिले की महिला कुटीर उद्यमियों पर आधारित प्राथमिक समंक प्रस्तुत करता है, जो जिले के लिए अद्यतन आधार सामग्री का कार्य करेगा। इसके निष्कर्ष जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, अग्रणी बैंक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन तथा प्रशिक्षण संस्थाओं को योजनाओं को अधिक लक्षित ढंग से लागू करने में सहायक होंगे। विकासखण्डवार तुलना से यह स्पष्ट होता है कि किन क्षेत्रों, विशेषकर जनजाति बहुल वनांचल क्षेत्रों, में विशेष हस्तक्षेप की आवश्यकता है। सैद्धान्तिक दृष्टि से यह अध्ययन यह दर्शाता है कि महिलाओं की उद्यमशीलता की सीमाएँ उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति से अधिक उनकी परिस्थितियों से उत्पन्न होती हैं, जो नीति-निर्माण की दिशा बदलने वाला निष्कर्ष है।

शोध प्रविधि

अध्ययन वर्णनात्मक एवं निदानात्मक शोध प्रारचना पर आधारित है। वर्तमान सतना जिले के पाँचों विकासखण्डों से 60-60, कुल 300 महिला कुटीर उद्यमियों का चयन बहुस्तरीय दैव निदर्शन से किया गया। प्राथमिक समंक पूर्व-परीक्षित साक्षात्कार अनुसूची से एकत्र किए गए, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ लिकर्ट की पंचबिन्दु

मापनी (Likert, 1932) पर आधारित कथन सम्मिलित थे। द्वितीयक समंक जनगणना 2011 तथा जिला स्तरीय कार्यालयों से लिए गए। विश्लेषण में प्रतिशत, समान्तर माध्य, युग्मित टी-परीक्षण तथा 5 प्रतिशत सार्थकता स्तर पर काई-वर्ग परीक्षण (Pearson, 1900) का प्रयोग किया गया।

कुटीर उद्योगों के माध्यम से महिला उद्यमियों का आर्थिक विकास – सतना जिले के परिपेक्ष्य में

सतना जिले में कुटीर उद्योगों का स्वरूप उसके संसाधनों से निर्धारित होता है। मैदानी भागों में दाल, मसाला, अचार एवं पापड़ जैसे कृषि आधारित उद्योग, मझगवाँ एवं उचेहरा के वनांचल में महुआ, आँवला, बाँस एवं दोना-पत्तल जैसे वनोपज आधारित उद्योग तथा जिला मुख्यालय के आसपास सिलाई केन्द्र एवं ब्यूटी पार्लर जैसे सेवा उद्यम प्रमुख हैं। चित्रकूट एवं बिरसिंहपुर जैसे धार्मिक स्थल पूजन सामग्री एवं प्रसाद के लिए मौसमी बाजार प्रदान करते हैं।

इन उद्योगों में महिला की भूमिका केवल श्रमिक की नहीं है। वह उद्यम का विचार करती है, समूह या बैंक से पूँजी जुटाती है, उत्पादन एवं गुणवत्ता सँभालती है, ग्राहक तलाशती है और ऋण की किस्तें चुकाती है। आर्थिक विकास की दृष्टि से इसका प्रभाव तीन स्तरों पर दिखता है – व्यक्तिगत स्तर पर नियमित आय एवं बचत, पारिवारिक स्तर पर शिक्षा, स्वास्थ्य एवं जीवन स्तर में सुधार, तथा सामाजिक स्तर पर परिवार के निर्णयों में भागीदारी एवं सम्मान। नैला कबीर (1999) के अनुसार संसाधन तभी सशक्तिकरण बनते हैं जब उनके उपयोग पर महिला का नियन्त्रण हो; अतः इस शोध पत्र में आय के साथ आय पर नियन्त्रण को भी आर्थिक विकास का सूचक माना गया है।

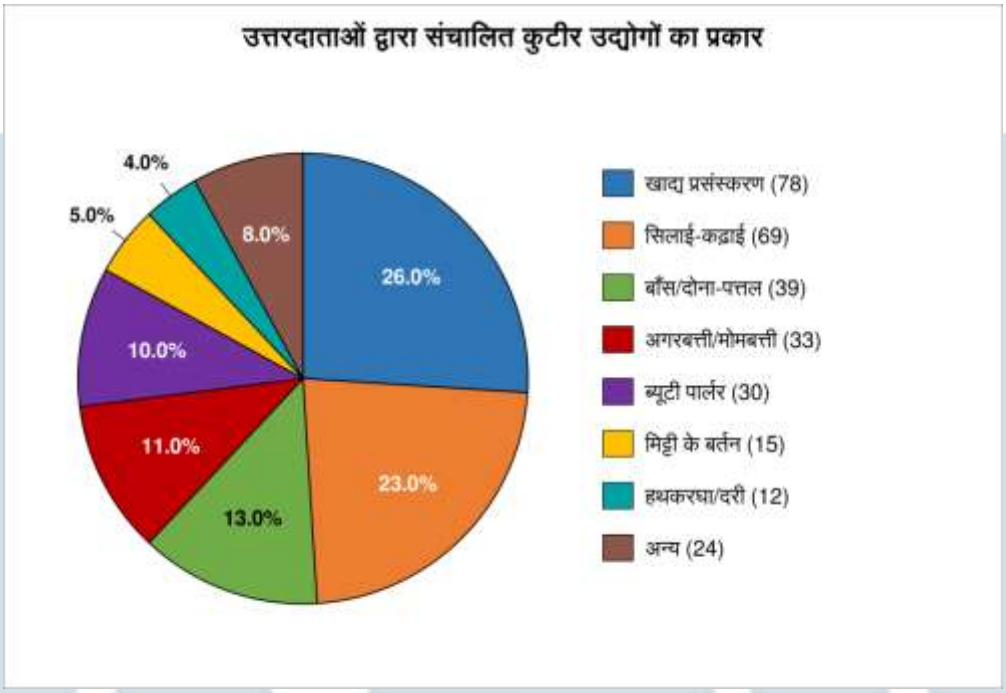
सारणीयन एवं विश्लेषण

सारणी क्रमांक 1

उत्तरदाताओं द्वारा संचालित कुटीर उद्योगों का प्रकार

क्र.	उद्योग का प्रकार	उत्तरदाता	प्रतिशत
1	खाद्य प्रसंस्करण (पापड़, बड़ी, अचार, मसाला)	78	26.00
2	सिलाई-कढ़ाई / वस्त्र निर्माण	69	23.00
3	बाँस / टोकरी / दोना-पत्तल	39	13.00
4	अगरबत्ती / मोमबत्ती निर्माण	33	11.00
5	ब्यूटी पार्लर / मेहंदी	30	10.00
6	मिट्टी के बर्तन / खिलौने	15	5.00
7	हथकरघा / दरी	12	4.00
8	अन्य	24	8.00
	योग	300	100.00

स्रोत – साक्षात्कार अनुसूची पर आधारित क्षेत्रीय सर्वेक्षण.



सारणी क्रमांक 1 से ज्ञात होता है कि लगभग आधी (49 प्रतिशत) महिला उद्यमी खाद्य प्रसंस्करण एवं सिलाई-कढ़ाई जैसे घरेलू कौशल आधारित उद्योगों में लगी हैं। वनोपज आधारित उद्योगों का भाग 13 प्रतिशत है, जो मुख्यतः जनजाति बहुल विकासखण्डों में केन्द्रित है। मिट्टी के बर्तन एवं हथकरघा जैसे परम्परागत शिल्पों में भागीदारी कम है। स्पष्ट है कि महिलाएँ उन्हीं क्षेत्रों में उद्यम प्रारम्भ करती हैं जिनमें उन्हें पहले से दक्षता प्राप्त है।

सारणी क्रमांक 2

उद्यम प्रारम्भ करने में लगी प्रारम्भिक पूँजी

क्र.	प्रारम्भिक पूँजी (₹)	उत्तरदाता	प्रतिशत
1	10,000 से कम	84	28.00
2	10,001 – 25,000	96	32.00

क्र.	प्रारम्भिक पूँजी (₹)	उत्तरदाता	प्रतिशत
3	25,001 – 50,000	63	21.00
4	50,001 – 1,00,000	36	12.00
5	1,00,000 से अधिक	21	7.00
	योग	300	100.00

स्रोत – साक्षात्कार अनुसूची पर आधारित क्षेत्रीय सर्वेक्षण.

सारणी क्रमांक 2 के अनुसार 60 प्रतिशत महिलाओं ने ₹25,000 से कम पूँजी से उद्यम आरम्भ किया तथा केवल 19 प्रतिशत ने ₹50,000 से अधिक का निवेश किया। वर्गों के मध्य बिन्दुओं के आधार पर औसत प्रारम्भिक पूँजी लगभग ₹34,375 आती है। पूँजी का प्रमुख स्रोत स्व-सहायता समूह (27 प्रतिशत) एवं स्वयं की बचत (24 प्रतिशत) रहे, जबकि 6 प्रतिशत महिलाएँ साहूकारों पर निर्भर रहीं।

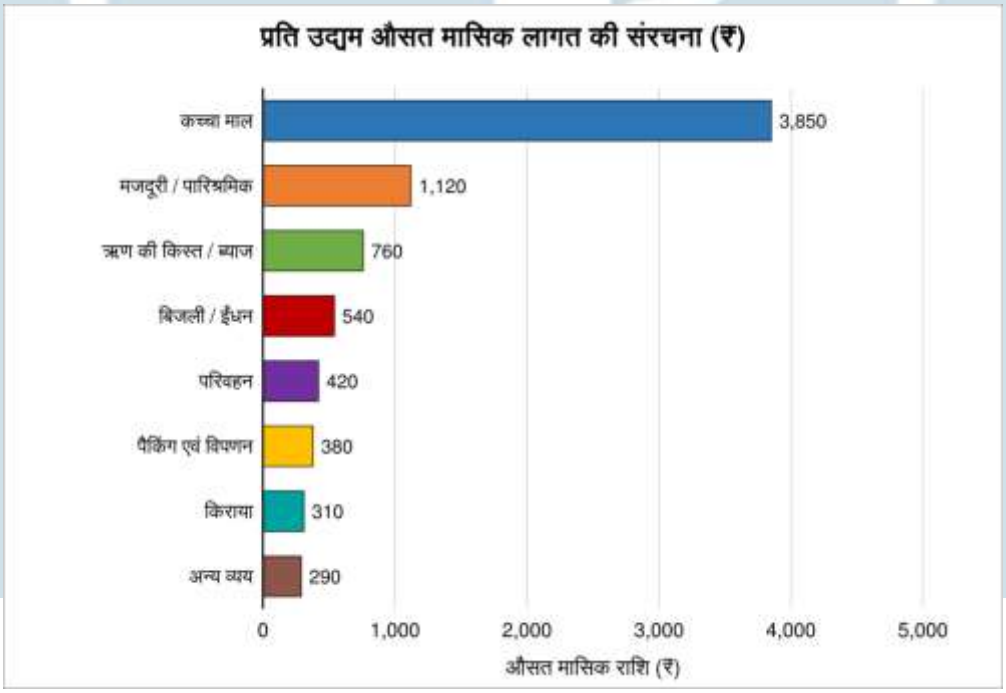
सारणी क्रमांक 3

प्रति उद्यम औसत मासिक लागत की संरचना

क्र.	लागत की मद	औसत मासिक राशि (₹)	प्रतिशत
1	कच्चा माल	3,850	50.20
2	मजदूरी / पारिश्रमिक	1,120	14.60
3	ऋण की किस्त / ब्याज	760	9.91

क्र.	लागत की मद	औसत मासिक राशि (₹)	प्रतिशत
4	बिजली / ईंधन	540	7.04
5	परिवहन	420	5.48
6	पैकिंग एवं विपणन	380	4.95
7	किराया	310	4.04
8	अन्य व्यय	290	3.78
	कुल औसत मासिक लागत	7,670	100.00

स्रोत – साक्षात्कार अनुसूची पर आधारित क्षेत्रीय सर्वेक्षण.



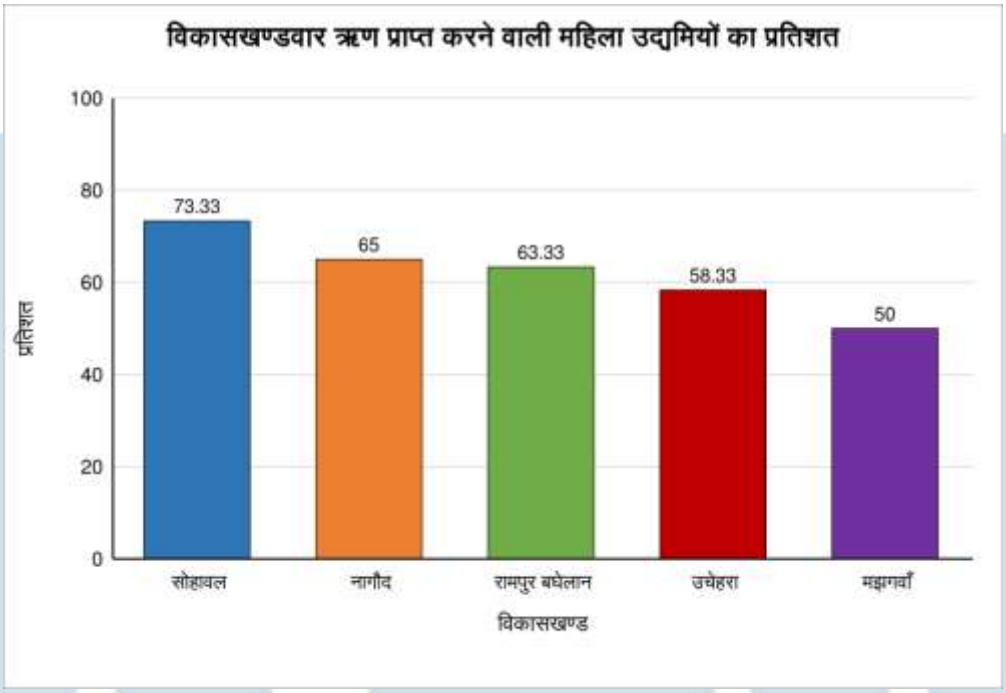
सारणी क्रमांक 3 दर्शाती है कि औसत मासिक लागत ₹7,670 का आधा भाग (50.20 प्रतिशत) कच्चे माल पर व्यय होता है, जबकि पैकिंग एवं विपणन पर केवल 4.95 प्रतिशत व्यय होता है। उत्पाद की प्रस्तुति पर इतना कम निवेश महिलाओं को उचित मूल्य से वंचित करता है। 71 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने लागत में निरन्तर वृद्धि की बात कही, जिससे उनका लाभ घट रहा है।

सारणी क्रमांक 4

विकासखण्डवार ऋण प्राप्त करने वाली महिला उद्यमी

क्र.	विकासखण्ड	कुल उत्तरदाता	ऋण लिया	प्रतिशत
1	सोहावल	60	44	73.33
2	नागौद	60	39	65.00
3	रामपुर बघेलान	60	38	63.33
4	उचेहरा	60	35	58.33
5	मझगवाँ	60	30	50.00
	योग	300	186	62.00

स्रोत – साक्षात्कार अनुसूची पर आधारित क्षेत्रीय सर्वेक्षण.



सारणी क्रमांक 4 से स्पष्ट है कि कुल 62 प्रतिशत महिलाओं ने उद्यम हेतु ऋण लिया, किन्तु इसमें क्षेत्रीय अन्तर अधिक है। जिला मुख्यालय से लगे सोहावल में 73.33 प्रतिशत, जबकि जनजाति बहुल मझगवाँ में केवल 50.00 प्रतिशत महिलाओं को ऋण मिला। ऋण लेने वाली महिलाओं में 36 प्रतिशत को आजीविका मिशन एवं 31 प्रतिशत को मुद्रा योजना से ऋण प्राप्त हुआ; दो-तिहाई ऋण ₹50,000 से कम राशि के थे तथा लगभग 12 प्रतिशत महिलाएँ 18 प्रतिशत से अधिक ब्याज चुका रही हैं।

सारणी क्रमांक 5

ऋण प्राप्ति में आने वाली प्रमुख कठिनाई

क्र.	प्रमुख कठिनाई	ऋणी उत्तरदाता	प्रतिशत
1	जटिल कागजी कार्यवाही	58	31.18

क्र.	प्रमुख कठिनाई	ऋणी उत्तरदाता	प्रतिशत
2	जमानत / गारन्टी की माँग	39	20.97
3	बैंक के बार – बार चक्कर	34	18.28
4	जानकारी का अभाव	21	11.29
5	बिचौलियों / अनुचित माँग की समस्या	17	9.14
6	कोई कठिनाई नहीं	17	9.14
	योग	186	100.00

स्रोत – साक्षात्कार अनुसूची पर आधारित क्षेत्रीय सर्वेक्षण.

सारणी क्रमांक 5 के अनुसार ऋणी महिलाओं में 31.18 प्रतिशत ने जटिल कागजी कार्यवाही तथा 20.97 प्रतिशत ने जमानत की माँग को सबसे बड़ी बाधा बताया। केवल 9.14 प्रतिशत महिलाओं को कोई कठिनाई नहीं हुई। फिर भी लगभग 65 प्रतिशत महिलाएँ किस्तें नियमित रूप से चुका रही हैं या ऋण पूरा चुका चुकी हैं, जो यूनुस (1999) के इस निष्कर्ष की पुष्टि करता है कि निर्धन महिलाएँ विश्वसनीय ऋणी होती हैं।

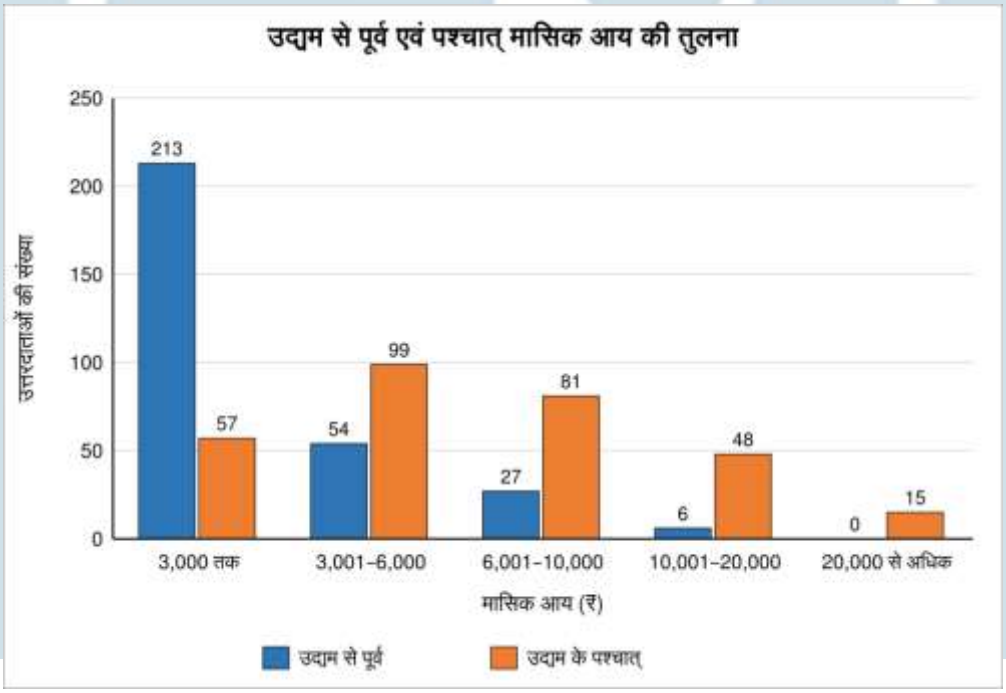
सारणी क्रमांक 6

उद्यम से पूर्व एवं पश्चात् उत्तरदाताओं की मासिक आय

क्र.	मासिक आय (₹)	उद्यम से पूर्व	प्रतिशत	उद्यम के पश्चात्	प्रतिशत
1	3,000 तक (आयविहीन सहित)	213	71.00	57	19.00

क्र.	मासिक आय (₹)	उद्यम से पूर्व	प्रतिशत	उद्यम के पश्चात्	प्रतिशत
2	3,001 – 6,000	54	18.00	99	33.00
3	6,001 – 10,000	27	9.00	81	27.00
4	10,001 – 20,000	6	2.00	48	16.00
5	20,000 से अधिक	0	0.00	15	5.00
	योग	300	100.00	300	100.00
	औसत मासिक आय (₹)	1,785		7,580	

स्रोत – साक्षात्कार अनुसूची पर आधारित क्षेत्रीय सर्वेक्षण. उद्यम पूर्व आय के वर्ग निकटतम वर्गान्तरों में समायोजित।



सारणी क्रमांक 6 इस शोध पत्र का केन्द्रीय निष्कर्ष प्रस्तुत करती है। उद्यम से पूर्व 71 प्रतिशत महिलाएँ या तो आयविहीन थीं या ₹3,000 मासिक से कम कमा रही थीं, जबकि उद्यम के पश्चात् यह अनुपात घटकर 19 प्रतिशत रह गया। औसत मासिक आय ₹1,785 से बढ़कर ₹7,580 हो गई। युग्मित टी-परीक्षण में परिकलित t मान 19.16 आया, जो 299 स्वातन्त्र्य कोटि पर 5 प्रतिशत स्तर के सारणी मान 1.97 से बहुत अधिक है; अतः आय में वृद्धि सांख्यिकीय रूप से सार्थक है। 33 प्रतिशत महिलाएँ अब परिवार की आधी से अधिक आय अर्जित कर रही हैं।

सारणी क्रमांक 7

उद्यम से प्राप्त आय पर नियन्त्रण

क्र.	आय पर नियन्त्रण	उत्तरदाता	प्रतिशत
1	स्वयं का	108	36.00
2	संयुक्त	81	27.00
3	पति का	87	29.00
4	परिवार के अन्य सदस्य का	24	8.00
	योग	300	100.00

स्रोत – साक्षात्कार अनुसूची पर आधारित क्षेत्रीय सर्वेक्षण.

आय पर नियन्त्रण के सम्बन्ध में सारणी क्रमांक 7 दर्शाती है कि 36 प्रतिशत महिलाएँ अपनी आय स्वयं नियन्त्रित करती हैं तथा 27 प्रतिशत संयुक्त निर्णय लेती हैं, किन्तु 37 प्रतिशत की आय पर पति या परिवार का नियन्त्रण है। अर्थात् आय में वृद्धि का अर्थ हर स्थिति में सशक्तिकरण नहीं है। आय का मुख्य उपयोग पारिवारिक

व्यय (32 प्रतिशत), बच्चों की शिक्षा (21 प्रतिशत) एवं बचत (18 प्रतिशत) पर होता है, जबकि उद्यम विस्तार में केवल 10 प्रतिशत महिलाएँ पुनर्निवेश करती हैं।

सारणी क्रमांक 8

परिकल्पना परीक्षण – काई-वर्ग परीक्षण के परिणाम

क्र.	परिकल्पना / परीक्षित सम्बन्ध	χ^2 (परिकलित)	स्वा. कोटि	सारणी मान (5%)	निर्णय
1	जोखिम वहन क्षमता कम होती है (शिक्षा × जोखिम वहन क्षमता)	38.98	6	12.59	स्वीकृत
2	अधिकतर महिलाएँ आर्थिक रूप से कमजोर (आर्थिक स्थिति × विस्तार योजना)	16.95	2	5.99	स्वीकृत
3	व्यवसाय से अधिक परिवार पर ध्यान (परिवार का प्रकार × उद्यम को दैनिक समय)	17.48	3	7.81	स्वीकृत
4	आत्मविश्वास की कमी से स्थापना में विलम्ब (आत्मविश्वास × स्थापना में समय)	64.54	4	9.49	स्वीकृत

स्रोत – साक्षात्कार अनुसूची पर आधारित क्षेत्रीय सर्वेक्षण.

सारणी क्रमांक 8 के अनुसार चारों परिकल्पनाओं में परिकलित काई-वर्ग मान सारणी मान से अधिक है, अतः शून्य परिकल्पनाएँ अस्वीकार कर शोध परिकल्पनाएँ स्वीकार की गईं। 56 प्रतिशत महिलाओं की जोखिम वहन क्षमता निम्न पाई गई, किन्तु निरक्षर एवं साक्षर वर्ग में यह अनुपात 75 प्रतिशत तथा स्नातक वर्ग में लगभग 31 प्रतिशत है। एकल परिवारों की महिलाएँ उद्यम को संयुक्त परिवारों की तुलना में कम समय दे पाती हैं तथा कम आत्मविश्वास

वाली 73 प्रतिशत महिलाओं को उद्यम स्थापित करने में अधिक समय लगा। अतः ये सीमाएँ महिलाओं के स्वभाव से अधिक उनकी शिक्षा, आर्थिक स्थिति एवं पारिवारिक संरचना का परिणाम हैं (Byrnes et al., 1999; Bandura, 1977)।

निष्कर्ष-

अध्ययन से निष्कर्ष निकलता है कि सतना जिले में कुटीर उद्योग महिलाओं के आर्थिक विकास का प्रभावी माध्यम सिद्ध हुए हैं। उद्यम के पश्चात् महिलाओं की औसत मासिक आय में चार गुने से अधिक की सार्थक वृद्धि हुई है, 64 प्रतिशत की आय विगत तीन वर्षों में बढ़ी है तथा एक-तिहाई महिलाएँ परिवार की प्रमुख आय अर्जक बन गई हैं। स्व-सहायता समूह एवं मुद्रा योजना ने वित्त तक पहुँच को सरल बनाया है और महिलाओं का ऋण अदायगी व्यवहार सन्तोषजनक है।

इसके साथ ही यह विकास कई सीमाओं में बँधा है – अत्यन्त कम प्रारम्भिक पूँजी, छोटी ऋण राशि, जटिल ऋण प्रक्रिया, विपणन एवं पैकिंग पर नगण्य निवेश, बढ़ती लागत, जनजाति बहुल क्षेत्रों में ऋण की कम पहुँच तथा एक-तिहाई से अधिक महिलाओं का अपनी आय पर नियन्त्रण न होना। परिकल्पना परीक्षण ने सिद्ध किया कि कम जोखिम वहन क्षमता, आर्थिक कमजोरी, पारिवारिक दायित्व एवं आत्मविश्वास की कमी महिला उद्यमिता की प्रमुख बाधाएँ हैं, किन्तु ये परिस्थितिजन्य हैं और उचित हस्तक्षेप से दूर की जा सकती हैं।

सुझाव-

(1) ₹2 लाख तक के महिला उद्यम ऋण हेतु सरल एक पृष्ठ का आवेदन, समयबद्ध स्वीकृति तथा ऋण गारंटी निधि के माध्यम से जमानत मुक्त ऋण की व्यवस्था की जाए तथा आजीविका मिशन का ब्याज अनुदान व्यक्तिगत महिला उद्यमियों तक विस्तारित किया जाए। (2) मझगवाँ एवं उचेहरा जैसे दूरस्थ विकासखण्डों में विशेष ऋण शिविर, बैंक मित्र एवं स्थानीय भाषा में वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम चलाए जाएँ। (3) विकासखण्ड स्तर पर महिला

उत्पाद विक्रय केन्द्र, जिला मुख्यालय एवं चित्रकूट में स्थायी महिला हाट तथा सामूहिक ब्रांडिंग, पैकिंग एवं ऑनलाइन विक्रय सहायता उपलब्ध कराई जाए।

(4) प्रशिक्षण को विकासखण्ड स्तर तक ले जाकर उसमें लेखा-जोखा, विपणन, डिजिटल भुगतान एवं संस्थाओं से व्यवहार का व्यावहारिक अभ्यास जोड़ा जाए तथा प्रशिक्षण के बाद एक वर्ष तक अनुवर्तन अनिवार्य हो। (5) समूह स्तर पर कच्चे माल की सामूहिक थोक खरीद तथा वनोपज के मूल्य संवर्धन हेतु प्रसंस्करण केन्द्र स्थापित किए जाएँ। (6) आँगनवाड़ी-सह-पालना केन्द्रों एवं ग्राम स्तर पर सामूहिक कार्यस्थलों की व्यवस्था की जाए तथा परिवार के पुरुष सदस्यों में घरेलू दायित्व साझा करने एवं महिला की आय पर उसके अधिकार के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाए। (7) सफल स्थानीय महिला उद्यमियों को "उद्यमी सखी" के रूप में नई महिलाओं के मार्गदर्शन हेतु जोड़ा जाए, जिससे आत्मविश्वास एवं जोखिम वहन क्षमता दोनों बढ़ें।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. गांधी, मोहनदास करमचन्द, "ग्राम स्वराज", नवजीवन प्रकाशन मन्दिर, अहमदाबाद।
2. जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, सतना तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास संस्थान, इन्दौर, "जिला औद्योगिक रूपरेखा – सतना", इन्दौर।
3. भारत की जनगणना 2011, "प्राथमिक जनगणना सार – उप-जिला स्तरीय आँकड़े, सतना जिला", जनगणना कार्य निदेशालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
4. भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, "दीनदयाल अन्त्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन : कार्यक्रम दिशा-निर्देश", नई दिल्ली।

5. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएँ विभाग, "प्रधानमंत्री मुद्रा योजना एवं स्टैण्ड-अप इण्डिया योजना – परिचालन दिशा-निर्देश", नई दिल्ली।

6. भारत सरकार, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, "छठी आर्थिक गणना – अखिल भारतीय रिपोर्ट", नई दिल्ली, 2016।

7. मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, "मैहर जिले के गठन सम्बन्धी अधिसूचना", भोपाल, सितम्बर 2023।

8. मध्यप्रदेश शासन, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, "मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना – दिशा-निर्देश", भोपाल, 2022।

9. Bandura, Albert, "Self-Efficacy: Toward a Unifying Theory of Behavioral Change", Psychological Review, Vol. 84, No. 2, 1977, pp. 191–215.

10. Byrnes, J. P., Miller, D. C. and Schafer, W. D., "Gender Differences in Risk Taking: A Meta-Analysis", Psychological Bulletin, Vol. 125, No. 3, 1999, pp. 367–383.

11. Goyal, Meenu and Parkash, Jai, "Women Entrepreneurship in India – Problems and Prospects", Zenith International Journal of Multidisciplinary Research, Vol. 1, No. 5, 2011, pp. 195–207.

12. Kabeer, Naila, "Resources, Agency, Achievements: Reflections on the Measurement of Women's Empowerment", Development and Change, Vol. 30, No. 3, 1999, pp. 435–464.

13. Kothari, C. R. and Garg, Gaurav, "Research Methodology: Methods and Techniques", New Age International Publishers, New Delhi.

14. Likert, Rensis, "A Technique for the Measurement of Attitudes", Archives of Psychology, Vol. 22, No. 140, 1932, pp. 1–55.

15. Mayoux, Linda, "Jobs, Gender and Small Enterprises: Getting the Policy Environment Right", SEED Working Paper No. 15, International Labour Office, Geneva, 2001.

16. Pearson, Karl, "On the Criterion that a Given System of Deviations from the Probable … Arisen from Random Sampling", Philosophical Magazine, Series 5, Vol. 50, No. 302, 1900, pp. 157–175.

17. Sen, Amartya, "Development as Freedom", Oxford University Press, New Delhi, 1999.

18. Yunus, Muhammad, "Banker to the Poor: Micro-Lending and the Battle Against World Poverty", PublicAffairs, New York, 1999.